न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 18/2022

बउनवान

हेमन्त कुमार आयु 65 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी बामला हाल मुकाम जैन कॉलोनी बारां, जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

1. श्रीमति पुष्पा जैन आयु 80 वर्ष पत्नी राजेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासी बामला हाल निवासी 201 रोनक धाम अपार्टमेन्ट मकान नं0 59/60 बेकुण्ठ धाम इन्दोर मध्यप्रदेश (रेस्पोडेंट्स)
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

अपील बनाराजगी इंतकाल नं0 2132 दिनांक 27.01.2022 ग्राम बामला तह0 बारां
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :— 1. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री एन. के. सोमानी एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.02.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बामला तह0 बारां में आराजी खसरा नंबर 155 रकबा 1.54 है., 162 रकबा 0.15 है., 165 रकबा 0.35 है., 38 रकबा 1.11 है., 724 रकबा 0.20 है., 733 रकबा 0.16 है., 84 रकबा 2.15 है. कुल किता 7 रकबा 5.66 है. भूमि स्थित है जो इंतकाल नंबर 2132 से अपीलांट के बजाय राजेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल जाति महाजन निवासी बामला के नाम तहसीलदार बारां ने दर्ज की है। राजेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल का दिनांक 24.05.2021 को इन्दोर में देहान्त हो गया। रेस्पो0 कम 1 उसकी पत्नी है उसके पक्ष में इन भूमियों का नामान्तकरण इंतकाल कमांक 2141 दिनांक 21.03.2022 से दर्ज करने से पूर्व यह भूमि अपीलांट के नाम दर्ज थी क्योंकि पूर्व में इस भूमि के बाबत दो मुकदमे न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां से दिनांक 13.04.2015 को प्रकरण संख्या 179/2013 अपीलांट के पक्ष में डिकी हुये थे तथा दूसरा मुकदमा दिनांक 13.04.2015 को प्रकरण संख्या 172/2013 बउनवान बादाम बाई बनाम राजेन्द्र कुमार के नाम से डिकी हुआ था। इन दोनों डिकियों से यह दोनों भूमियां अपीलांट के नाम दर्ज हुई थी। इनकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां हुई तथा राजस्व अधिकारी के निर्णय के बाद में वहां से [illegible] प्रकरण रिमाण्ड किये गये जो वर्तमान में न्यायालय उप जिला [illegible] बारां [illegible] हैं। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी से रिमाण्ड होने के बाद में [illegible] के प्रार्थना पत्र न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां में दिनांक 29.08.2017 [illegible] पेश किये जो प्रकरण [illegible] 46/2017 व 47/2017 पर दर्ज हुये इनके द्वारा यह भू[illegible] वापस राजेन्द्र कुमार [illegible] म दर्ज होनी थी किन्तु दिनांक 20.12.2021 को दोनों प्रकरण राजेन्द्र कुमार द्वारा खारिज [illegible]वा लिये गये एवं कोई कार्यवाही नही चाही इस कारण अपीलांट का नाम बदस्तूर खाते में रहना चाहिये था। तहसीलदार बारां ने इंतकाल नंबर 2132 दिनांक 27.01.2022 को जो तस्दीक किया है वह

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.14 15:02:52 IST
Reason: SelfAttested

बिना उप जिला कलक्टर के आदेश तस्दीक कर दिया जबकि जिस दिन 27.01.2022 को तस्दीक किया उस दिन राजेन्द्र कुमार फोत हो चुका था राजेन्द्र कुमार के वारिसान को सक्षम न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां में प्रार्थना पत्र देकर अपने आपको कायम मुकाम बनाकर उप जिला कलक्टर से तहरीर जारी करवाकर अपना नाम 144 सीपीसी के तहत पुनः स्थापित करवाना चाहिये था किन्तु कानून की अवहेलना करके राजेन्द्र कुमार का नाम दर्ज कर दिया। अतः इंतकाल नंबर 2132 दिनांक 27.01.2022 ग्राम बामला निरस्त फरमावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट कम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण अन्तिम बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक राजेन्द्र कुमार की वसीयत दिनांक 16.04.2021 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पो0 कम 1 के नाम दर्ज किया गया है। इस वसीयत की जांच कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। रेस्पो0 कम 1 कभी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। रेस्पो0 कम 1 के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं लिये गये। असल वसीयत भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने उक्त इंतकाल तस्दीक किया है इस कारण प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(1) भू राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम, 1956 पारित किया गया है। अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम, 1956 बाद सुनवाई आदेश पारित किया जाता है तथा इसकी अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय को प्राप्त है। पूर्व में अपीलांट ने घोषणा का वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां में पेश कर एकपक्षीय डिक्री पारित करवाई जिसकी अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां का फैसला निरस्त किया। जिसकी पालना हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां में पेश किया गया। खातेदार राजेन्द्र कुमार की मृत्यु हो गई रेस्पोडेन्ट कम 1 उसकी पत्नि है। जिसके पक्ष में माननीय न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, इन्दौर म0 प्र0 द्वारा दिनांक 10.01.2022 को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही जर्ये रजिस्टर्ड मुख्तयार आम द्वारा पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। इस आराजीयात बाबत रजिस्टर्ड मुख्तयार को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं है। वर्तमान में न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां में मुकदमे जैरकार है इसकी सूचना भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नहीं दी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.14 15:02:52 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट की प्रथम आपत्ति कि यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत Contested होने से इस न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर सिर्फ उनकी सुनवाई कर आदेश दिनांक 10.03.2022 पारित किया है। अतः प्रकरण की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त होना साबित होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बाबत वाद अपीलांट द्वारा पेश किया जिसमें उसे दिनांक 13.04.2015 को विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित किया गया। जिसे दिनांक 09.06.2015 को संशोधित कर अन्य खसरा नंबरान भी निर्णय में जोडे गये। इसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में होने पर माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2017 से न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 09.06.2015 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि "अपीलांट को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान कर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।" इसकी द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निरस्त की गई। वर्तमान में अपीलांट का विवादित भूमि से संबंधित घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है तथा वहां से उनके विवादित भूमि में अधिकार तय होने हैं।

चूंकि प्रश्नगत नामान्तरकरण माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय के आधार पर दर्ज किया गया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.14 15:02:52 IST
Reason: SelfAttested